रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2012/अग्रहायण 14, 1934
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2012/AGRAHAYANA 14, 1934

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2012

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम (ओं) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन की मंजूरी] विनियम, 2012

एफ. सं. 37 3/विधिक/अभातशिप/2012.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 की उप--धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ :**

1.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् **(व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम (ओं) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन की मंजूरी)** विनियम, 2012 कहा जाएगा।

1.2 ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा पहले से अनुमोदित संस्थाओं और/अथवा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने वाली संस्थाओं तथा परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचे के अंतर्गत कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के तौर पर कार्य करने वाली संस्थाओं पर लागू होंगे।

1.3 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :**

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

2.1 "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय और/अथवा तकनीकी बोर्ड और/अथवा तकनीकी संस्था का शैक्षणिक वर्ष।

2.2 "अधिनियम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52)।

2.3 "अभातशिप के वेब–पोर्टल" से अभिप्रेत है यूआरएल www.aicte-india.org पर परिषद् द्वारा होस्ट की गई वेबसाइट।

2.4 "आवेदक" से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक जो इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए परिषद् को आवेदन करता है।

2.5 "अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्था।

2.6 "तकनीकी शिक्षा बोर्ड" से अभिप्रेत है पॉलिटैक्निक संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने हेतु संबंधित राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा बोर्ड ।

2.7 "केन्द्रीय सांविधिक निकाय" से अभिप्रेत भारत में उच्चतर शिक्षा के विनियमन हेतु संसद के अधिनियम द्वारा सृजित एवं स्थापित सांविधिक निकायों से है।

2.8 "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (4)(क) के अंतर्गत यथावर्णित परिषद् का अध्यक्ष।

2.9 "सामुदायिक महाविद्यालय" से अभिप्रेत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचा योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का संचालन करने वाली तथा तकनीकी शिक्षा संचालित करने हेतु परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित डिप्लोमा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था और/अथवा केन्द्रीय सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और/अथवा विश्वविद्यालय अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त संस्था (जैसा भी मामला हो) से है।

2.10 "सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचा योजना के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता ।

2.11 "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचा योजना के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता से है।

2.12 "कम्पनी" से अभिप्रेत, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन स्थापित की गयी कम्पनी से है।

2.13 "दाखिले के लिए सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा निकाय, जो संबंधित

2.14 "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है।

2.15 "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है विषयक्षेत्र आधारित विशिष्ट विशेषज्ञताओं वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा अधिगम (लर्निंग) कार्यक्रम ।

2.16 "प्रभाग" से अभिप्रेत है ;
पचास सीटों का बैच, जिसमें अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं;

2.17 "ई–बैंकिंग" से अभिप्रेत है इंटरनेट बैंकिंग।

2.18 "ई–रसीद" से अभिप्रेत है परिषद् के वेब–पोर्टल पर इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए किए गए भुगतान की प्राप्त हुई भुगतान–रसीद।

2.19 "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा अभातशिप अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति।

2.20 "विदेशी राष्ट्रिक" से अभिप्रेत है भारत के अतिरिक्त सभी देशों के नागरिक, जो भारतीय मूल के नहीं हैं, जैसाकि पीआईओ के अधीन परिभाषित है।

2.21 "सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है ऐसी तकनीकी संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत अथवा अधिक भाग की पूर्ति सरकार अथवा सरकारी संगठनों से प्राप्त अनुदान से करती है।

2.22 "सरकारी संस्था" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा स्थापित और/अथवा अनुरक्षित तकनीकी संस्था।

2.23 "संस्था का प्रमुख" से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालय संस्था के मामले में कुलपति/निदेशक; अन्य संस्थाओं के मामले में प्राचार्य, निदेशक अथवा संस्था के कार्यकारी संस्था प्रमुख के रूप में कोई अन्य पदधारी।

2.24 "संस्था" से अभिप्रेत है तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने हेतु परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित संस्था और/अथवा केन्द्रीय सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय और/अथवा विश्वविद्यालय अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त संस्था (जैसा भी मामला हो)।

2.25 "स्तर (लेवल)" से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शासकीय आदेश संख्या 1–4/2011–वी.ई. दिनांक 03.09.2012 में अधिसूचित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) की संरचना में संदर्भित अनुसार वर्षभर की लगभग 1000 घंटों की व्यावसायिक शिक्षा ।

2.26 "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे" से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शासकीय आदेश संख्या 1–4/2011–वी.ई. दिनांक 03.09.2012 द्वारा अधिसूचित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम ढांचा ।

2.27 "व्यावसायिक शिक्षा" से अभिप्रेत हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचा योजना के अंतर्गत सामान्य शिक्षा के साथ–साथ एक निर्धारित स्तर के निर्धारित विशिष्टताओं वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

2.28 "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" से अभिप्रेत है ऐसा भारतीय नागरिक, जो सामान्यतया भारत से बाहर रहता है और भारतीय पासपोर्ट धारण करता है।

2.29 "भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)" से अभिप्रेत हैं ऐसे व्यक्ति, जो अन्य देशों के नागरिक हैं (पाकिस्तान एवं बंगलादेश को छोड़कर), जिन्होंने किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया है, अथवा जो, या उनके माता–पिता अथवा उनके दादा–दादी, नाना–नानी में से कोई भारत के संविधान के उपबंधों अथवा नागरिकता अधिनियम, (1955 का 57) की धारा 2(ख) के उपबंधों के परिणामस्वरूप भारत के नागरिक थे।

2.30 "निजी स्व–वित्तपोषित संस्था" से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी/न्यास/कंपनी द्वारा शुरू की गई कोई संस्था, जो अपने आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय और/अथवा राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अनुदान/निधि प्राप्त नहीं करती है।

2.31 "क्षेत्रीय समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय समिति।

2.32 "कौशल ज्ञान प्रदाता" से अभिप्रेत है सक्षमता प्राप्त ज्ञान प्रदाता जो राष्ट्रीय व्यावसायिक अहर्ता ढांचे के अंतर्गत व्यावसायिक विषयवस्तु का कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

2.33 "सोसाइटी" से अभिप्रेत है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी।

2.34 "न्यास" से अभिप्रेत है परोपकारी न्यास अधिनियम, 1950 अथवा कोई अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास।

3. कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के प्रवर्त्तक

3.1 कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) निम्नलिखित द्वारा प्रचालित तथा प्रशासित किया जाएगा :

क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी।
ख) परोपकारी न्यास अधिनियम 1950 अथवा किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई न्यास।
ग) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित कम्पनी।
घ) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रासंगिक विधान के अंतर्गत फर्मों के पंचीयक के पास विधिवत पंजीकृत साझेदार फर्म।
ड़) इन विनियमों के खंड 2.24 के अंतर्गत परिभाषित संस्था।

4. संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) के लिए अनुमोदन की मंजूरी

4.1 सभी संस्थाओं और कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) को निम्नलिखित के लिए परिषद् का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा:–

क) व्यावसायिक शिक्षा (वी.ई.) कार्यक्रम संचालित करने हेतु ;
ख) विद्यमान अभातशिप अनुमोदित पॉलिटैक्निकों में सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु ;
ग) केन्द्रीय सांविधिक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त और/अथवा विश्वविद्यालय अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु ;
घ) विद्यमान किसी संगठन अथवा इसके सेवा केन्द्र/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) की तरह अपेक्षित कौशल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु।

4.2 संस्थाओं तथा कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) के आवेदनों के प्रक्रमण के लिए समय-समय पर अनुमोदन की शर्तों तथा प्रक्रिया के विवरण के संबंध में परिषद् अनुमोदन प्रक्रिया–पुस्तिका प्रकाशित करेगी।

4.3 इन विनियमों के खण्ड 4.1 (क), (ख) तथा (ग) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा :

क) आवेदक संस्था का प्राचार्य/निदेशक/प्रमुख।

4.4 इन विनियमों के खंड 4.1 (घ) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा :–

क) सोसायटी/न्यास के मामले में अध्यक्ष अथवा सचिव ;
ख) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी ;
ग) साझेदारी फर्म के मामले में प्राधिकृत साझेदार।

4.5 आवेदन का प्रपत्र तथा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज तथा प्रेषित किया जाने वाला शुल्क, वह रीति जिसके द्वारा आवेदनों का प्रक्रमण किया जाएगा, मानकों और सन्नियमों, अपेक्षाओं तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए पद्धति को परिषद द्वारा समय--समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया जाएगा।

4.6 आवेदक को 4.1 में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए आवेदन तथा निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान अभातशिप के वेब–पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी अन्य तंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

2495 GI/12-2

4.7 अभातशिप के वेबपोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर, प्रणाली आवेदन के अनुसार एक ट्रैकिंग संख्या प्रदान करेगी, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा आगे उल्लेखन करने और संबंधित आवेदन की स्थिति का ऑनलाईन पता लगाने/जांच करने के लिए किया जा सकेगा।

4.8 वेब–पोर्टल पर दिए गए प्रपत्र में, 100/–रू0 के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ग्रहण किया गया यह शपथ–पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया हो कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है और यह कि यदि किसी भी अवस्था में यह पाया जाता है कि जानकारी अथवा जानकारी के किसी भाग को छिपाया गया है और/अथवा उसका गलत निर्वचन किया गया है और/अथवा आवेदन में दी गई जानकारी असत्य है, तो परिषद् कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसमें अनुमोदन का वापस लिया जाना और/अथवा ऐसी अन्य विधिक कार्रवाई, जो यह उपयुक्त समझे, करना शामिल है।

4.9 (क) **परिषद् द्वारा पहले से अनुमोदित सभी संस्थाएं तथा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाली संस्थाएं :–**

जब तक आवेदक अपना आवेदन वैबपोर्टल पर अंतिम रूप से जमा नहीं कर देता, तब तक वह, संस्थान के लॉगइन के माध्यम से उपलब्ध कमियों/स्थिति रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाईन आवश्यक सुधार कर सकता है।

यदि कोई कमी नहीं पाई जाती है तो अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय I तथा अध्याय II के खंड–6 के अनुसार प्रणाली द्वारा आवेदित की गई प्रवेश क्षमता का आबंटन किया जाएगा।

सभी संस्थाओं/पालिटैक्निकों की समेकित सूची उनकी अनुमोदित प्रवेश क्षमता सहित कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन अथवा अन्य हेतु प्रस्तुत की जाएगी। इसे वेबपोर्टल पर भी अधिसूचित किया जाएगा। इसके पश्चात् संस्थान/पॉलिटैक्निक अपने लॉगइन के माध्यम से अनुमोदित प्रवेश क्षमता सहित अपने अनुमोदन पत्र मुद्रित कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया हेतु अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आवेदक को आवेदन जमा करने से पहले ऑनलाईन पर दी गई कमी/स्थिति रिपोर्ट सहित आवेदन फार्म में सुधार करने के विभिन्न अवसर प्रदान किये जा चुके हैं।

4.9(ख) उपरोक्त 4.9 (क) के अतिरिक्त सभी आवेदक, जब तक अपना आवेदन वेबपोर्टल पर अंतिम रूप से जमा नहीं कर देते, तब तक वे अपने संस्थान के लॉगइन के माध्यम से उपलब्ध कमियों/स्थिति रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाईन आवश्यक सुधार कर सकते हैं। परिषद् के वेबपोर्टल ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये सभी आवेदनों का मूल्यांकन, अभातशिप के वेब–पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वचालित चयन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए चयनित किये गये सदस्यों के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गठित एक संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

4.10 संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अथवा परिषद् का कोई अन्य अधिकारी संबंधित समितियों की सहायता करेगा तथा संबंधित समितियों के समक्ष प्रासंगिक अभिलेख और दस्तावेज रखेगा तथा बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा; तथापि, वह समितियों का भाग नहीं होगा।

4.11 संवीक्षा समिति, उन आवेदकों को, जिन्होंने 4.9 (ख) के अंतर्गत अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, स्कैन किए गए सभी दस्तावेजों की मूल–प्रतियों तथा संस्थाओं और/अथवा कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) द्वारा सृजित सभी सुविधाओं की वीडियो सीडी के साथ (यथा प्रकरण), प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करेगी।

4.12 संवीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आवेदकों को समय–अनुसूची में यथावर्णित तारीख तक कमियाँ, यदि कोई हैं, की सूचना देगा। कमियों की सूची जानकारी के लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल पर दर्शाई जाएगी।

4.13 विशेषज्ञ समिति उन संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) का निरीक्षण करेगी, जिनके आवेदन इन विनियमों के खंड 4.9 (ख) के संबंध में प्राप्त हुए हैं, जो कि अनुमोदन की मंजूरी हेतु आगे प्रक्रमण के लिये संवीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित किये गये हैं।

4.14 संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आवेदकों को, जिनके प्रस्तावों पर खंड 4.9 (ख) में दर्शाए गए अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदन की मंजूरी के लिए सिफारिश कर दी गई है, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप वेब–पोर्टल पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार एक शपथ–पत्र के साथ अपेक्षित राशि सदस्य सचिव, अभातशिप के नाम पर जमा करने का अनुरोध करेगा।

4.15 संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखने के लिए क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों को अभातशिप मुख्यालय अग्रेषित करते समय यह सत्यापित करेगा कि संवीक्षा समिति, विशेषज्ञ दौरा समिति तथा क्षेत्रीय समिति द्वारा, इन विनियमों और अनुमोदन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों का अनुपालन किया गया है।

अभातशिप मुख्यालय में सम्बन्धित ब्यूरो भी संवीक्षा समिति, विशेषज्ञ दौरा समिति तथा क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियमों और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मापदण्डों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में सत्यापन करेगा।

4.16 क्षेत्रीय समिति की सिफारिशें अभातशिप की कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएंगी। कार्यकारिणी समिति, क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा एक शपथ--पत्र के साथ राशि जमा कर दिए जाने की पुष्टि करने के उपरान्त अनुमोदन की मंजूरी अथवा अन्यथा के लिए अपनी बैठक में निर्णय लेगी।

4.17 परिषद्, स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेने के पश्चात् कि आवेदक उसके द्वारा निर्दिष्ट सभी मानकों और सन्नियमों की पूर्ति करता है, अपेक्षित अनुमोदन की मंजूरी प्रदान करेगी।

4.18 इसके पश्चात्, कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आधार पर अभातशिप द्वारा अभिहित प्राधिकारी द्वारा दो वर्षों के अंदर कार्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमोदन पत्र अथवा अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

तथापि संस्थानों/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) को प्रत्येक वर्ष अनुमोदन में विस्तार की अनुमति लेनी होगी।

4.19 परिषद् द्वारा किसी संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को कोई सशर्त अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा।

4.20 संस्थाएं और कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.), जिन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रम तथा कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के संचालन हेतु अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया है, न्यूनतम अर्हताओं तथा वेतनमान के सम्बन्ध में बनाई गई नीति, परिषद् द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार, शिक्षण कर्मियों/समन्वयक तथा प्राचार्य/निदेशक (यथा प्रकरण) और अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार अन्य तकनीकी सहायक स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति का अनुपालन करेंगी।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोडकर, शेष सभी संस्थाएं शिक्षण कर्मियों/समन्वयक/प्राचार्य/निदेशक तथा अन्य तकनीकी सहायक स्टाफ और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति पूर्णतयः सम्बन्धित संबद्धक विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड की पद्धति तथा प्रक्रिया (विशेषतयः चयन प्रक्रिया एवं चयन समिति के सम्बन्ध में) के अनुरूप ही करेंगी।

स्टाफ की इन नियुक्तियों के बारे में सूचना, निर्धारित प्रपत्र पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार अभातशिप के वेब–पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी।

किन्हीं भी परिस्थितियों में शिक्षण कर्मियों तथा अन्य स्टाफ की अपेक्षित नियुक्ति किए बिना, संस्थाएं और/अथवा कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) अनुमोदित पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेंगे।

4.21 इन विनियमों के खंड 4.1 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का प्रक्रमण अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में विनिर्दिष्ट पद्धतियों, मानकों एवं सन्नियमों तथा अनुसूची के अनुसार परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार किया जाएगा।

4.22 आवेदक संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के नाम का इस प्रकार प्रयोग नहीं करेंगे कि संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के नाम का संक्षिप्त रूप आईआईएम अथवा आईआईटी अथवा आईआईएससी अथवा एनआईटी अथवा एआईसीटीई अथवा यूजीसी अथवा एमएचआरडी अथवा जीओआई बनता हो। आवेदक सरकार, भारत, भारतीय, राष्ट्रीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय परिषद्, आयोग शब्द (ओं) का अथवा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का

निवारण) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निषिद्ध अन्य नामों का प्रयोग संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के नाम में कहीं भी नहीं करेगा। परंतु यह भी कि, उपर्युक्त प्रतिबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है अथवा इसका नाम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

4.23 किसी भी स्थिति में अभातशिप के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना तथा संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड की सम्बद्धता प्राप्त किए बिना, किसी भी संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को काऊसलिंग तथा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने तथा विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी।

4.24 संबद्धक विश्वविद्यालय ऐसी संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी) में दाखिल विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा, जिनके पास परिषद् का अपेक्षित अनुमोदन नहीं है।

4.25 संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन परिषद् के अपेक्षित अनुमोदन के बिना किसी संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को विद्यार्थियों के दाखिले के लिए अनुमति नहीं देगी।

4.26 आवेदक प्रवर्त्तकों/संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) से परिषद् को विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जानकारी तथा दस्तावेज सही तथा पूर्ण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि, दी गई जानकारी अथवा परिषद् को प्रदान किए गए दस्तावेज गलत, अपूर्ण पाए जाते हैं, और/अथवा आवेदक संस्थाएं/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) वास्तविक जानकारी को प्रकट करने में असफल रहते हैं और/अथवा उन्होंने जानकारी छिपाई है/उसका गलत निर्वचन किया है, तो परिषद् इस संबंध में कार्रवाई करेगी, जिसमें अनुमोदन वापस लेना और/अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई करना शामिल है, जो, आवेदक संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) के विरूद्ध किए जाने के लिए आवश्यक समझी जाए।

4.27 अभातशिप, ऐसे मामलों में, जहां दस्तावेजों के गलत होने, गलत निर्वचन किए जाने, मानकों और सन्नियमों के उल्लंघन, कदाचार की विशिष्ट शिकायतें हैं, तारीखों को अधिसूचित करके अथवा इसके बिना, समय-समय पर निरीक्षण भी कर सकेगी तथा उपयुक्त कार्रवाई कर सकेगी, जिसमें अनुमोदन वापस लेना तथा ऐसी अन्य कार्रवाई शामिल है, जो, यथा प्रकरण, आवेदक संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) के विरूद्ध किए जाने के लिए आवश्यक समझी जाए।

4.28 संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पास जमा की गई राशि को दस वर्ष की अवधि के पश्चात् ही वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाएगी तथापि, किसी मानक, शर्त और अपेक्षा के किसी उल्लंघन और/अथवा संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) द्वारा गैर-निष्पादन और/अथवा संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के विरूद्ध शिकायतों के मामले में, जमा की अवधि, मामला-दर-मामला आधार पर यथानिर्णित, आगे और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है और/अथवा उसे जब्त किया जा सकता है।

4.29 इन विनियमों के खण्ड 4.1 के अधीन अनुमोदन की मंजूरी से इंकार किए जाने के मामले में, ऐसी संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) से इन विनियमों के खण्ड 4.1 में ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदन हेतु प्राप्त किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी कार्रवाई का निपटारा न कर लिया गया हो तथा संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को उल्लंघनों के आरोपों से मुक्त न कर दिया गया हो।

4.30 संबद्धक विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड ऐसी संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) के छात्रों को, जिनके कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को परिषद् द्वारा समाप्त कर दिया गया है अथवा जिनका अनुमोदन वापस ले लिया गया है अथवा जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, उसके साथ संबद्ध अन्य निकटवर्ती अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी) में स्थानान्तरित करेगा और परिषद् स्थानान्तरित हुए छात्रों को, उनके कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की समाप्ति तक, ऐसी संस्थाओं में उपयुक्त रूप से खपाने के लिए ऐसी संस्थाओं में अतिरिक्त सीटों की अनुमति देगी।

4.31 परिषद् के अनुमोदन के बिना कार्यक्रम/पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली किसी भी संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को गैर–अनुमोदित घोषित किया जाएगा, यदि वह:

क) परिषद् के अनुमोदन के बिना आरंभ हुई है।
ख) किसी अस्थायी स्थान/या ऐसे स्थान पर कार्य कर रही है, जिसे परिषद् द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया है।
ग) परिषद् द्वारा "गैर–अनुमोदित" घोषित की गई है।

परंतु आगे यह भी कि, अस्थायी स्थानों/परिषद् द्वारा गैर–अनुमोदित स्थानों पर शिक्षा में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) उन्हें बंद किए जाने के लिए कार्रवाई की दायी होंगे, जिसमें, दोषी सोसाइटियों/न्यासों/ कंपनियों/सहयोजित व्यक्तियों के विरूद्ध, यथा प्रकरण, उपयुक्त कार्रवाई भी शामिल है।

5. अपीलीय समिति के समक्ष अपील

5.1 परिषद् की कार्यकारिणी समिति के निर्णय से व्यथित किसी संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को अपीलीय समिति के समक्ष केवल एक बार अपील करने की अनुमति होगी। अपीलीय समिति का गठन अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा किया जाएगा।

5.2 परिषद् का एक अधिकारी अपीलीय समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के एक प्रतिनिधि को अपीलीय समिति के समक्ष संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

5.3 अपीलीय समिति की सिफारिशें अभातशिप की परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5.4 परिषद् का निर्णय, अनुमोदन पत्र अथवा अस्वीकृति पत्र के रूप में अथवा एक उपयुक्त संप्रेषण के रूप में, आवेदक को सूचित किया जाएगा। प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, आवेदनकर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह नया आवेदन कर सकता है।

6. भूमि की आवश्यकता

किसी शिक्षण संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) की प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन स्थापित की गई कंपनी के पास अपने विधिसम्मत कब्जे में, प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन स्थापित की गई कंपनी के नाम पर प्रस्ताव जमा करने की तिथि तक या उससे पूर्व, स्पष्ट हक के साथ, यथाअपेक्षित और निर्दिष्ट भूमि होनी चाहिए।

परंतु यह भी कि, प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अधीन स्थापित की गई कंपनी की प्रस्तावित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के लिए यह बात खुली होगी कि वह केवल अनुमोदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् ही उस भूमि पर स्थित शिक्षण संस्थान/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के विकास के प्रयोजनार्थ संसाधन जुटाने के लिए उस भूमि को गिरवी रख सकेगी।

7. निदेशक/प्राचार्य और समन्वयक तथा संकाय सदस्यों के संबंध में जानकारी

सभी शिक्षण संस्थाएं/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) उनके निदेशक/प्राचार्य/समन्वयक और संकाय सदस्यों के संबंध में जानकारी परिषद् के वेब–पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र में अपलोड करेंगे तथा समय–समय पर इस सूचना का अद्यतन करते रहेंगे।

8. निर्वचन

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा तथा परिषद् का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

9. छूट देने की शक्ति

परिषद् अपवादस्वरूप मामलों में, किसी कठिनाई के निवारण के लिए अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिन्हें लिखित में अभिलेखित किया जाएगा, संस्था तथा/अथवा कौशल ज्ञान प्रदाता के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकेगी।

10. अनुमोदन वापस लेना

यदि कोई संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) इन विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करते हैं, तो परिषद्, ऐसी जांच करने के पश्चात, जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगी।

11. शास्ति

इन विनियमों के उल्लंघन करते हुए चल रही एन.वी.ई.क्यू.एफ. के अधीन शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण देने हेतु संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) विधिक सिविल कार्रवाई के लिए दायी होंगे, जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है, को वापस लिया जाना और/अथवा परिषद् द्वारा, इसके और/अथवा इसकी प्रवर्त्तक सोसाइटी/न्यास/खण्ड (25) के अधीन कंपनी तथा व्यक्तियों/अन्य सहयोजित के विरूद्ध यथा प्रकरण, विधिक आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है।

परंतु यह और भी कि, यदि कोई संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हैं, तो परिषद् ऐसी जांच करके, जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.), को मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, नीचे निर्दिष्ट, यथा प्रकरण, कोई एक अथवा सभी कार्रवाईयां कर सकेगी।

12. विनियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

12.1 व्यावसायिक शिक्षा के कोई भी कार्यक्रम चलाने वाली संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) यदि किसी विनियम का उल्लंघन करते हैं तो वे उपयुक्त दण्डिक सिविल कार्रवाई आरंभ करने हेतु दायी होंगे, जिसमें अनुमोदन, यदि कोई है को वापस लिया जाना और तथा/अथवा परिषद् द्वारा दोषी सोसायटी/कंपनी/सहयोजित व्यक्तियों तथा/अथवा संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के विरूद्ध यथा प्रकरण आपराधिक कार्रवाई भी शामिल है।

परंतु यह कि यदि कोई संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) इन विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करते है, तो परिषद्, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो यह उपयुक्त समझे तथा संबंधित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् इन विनियमों के अंतर्गत संबंधित संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस ले सकेगी।

परंतु यह भी कि, अनुमोदन वापसी के ऐसे मामलों में, वर्णित संस्था/ कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) अनुमोदन वापसी की तिथि से, दो शैक्षणिक वर्ष पूरे हो जाने से पहले नहीं चलाई जा सकेगी।

परंतु यह भी कि, अनुमोदन वापस लिए गए संस्थान/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संबद्धता

प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आने वाली अन्य संस्थाओं/कौशल ज्ञान प्रदाताओं को पुनः आबंटित किया जाएगा।

ऐसी संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है, उस संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी) का अनुमोदन राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अहर्ता ढांचे (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) के अधीन पाठ्यक्रम चलाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही बहाल किया जाएगा।

12.2 अधिक प्रवेश

किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत सीट संख्या से अधिक प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। यदि परिषद् को अधिक प्रवेश की सूचना दी जाती है/परिषद् द्वारा यह पाया जाता है, तो संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के विरूद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक के दायी होंगे :–

1. प्रत्येक अधिक प्रवेश के लिए प्रति छात्र वसूले गये कुल अधिक प्रवेश शुल्क (फीस) का पांच गुणा
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
3. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा कौशलों के लिए अनुमोदन वापस लेना
4. संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के अनुमोदन को वापस लेना।

12.3 अधिक लिए गए प्रवेश शुल्क की राशि को परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार "सदस्य–सचिव, अभातशिप" को जमा किया जाएगा।

12.4 अहर्ता प्राप्त संकाय की पूर्ति न किया जाना

ऐसी संस्थाएं जिनके पास अहर्ता प्राप्त संकाय नहीं होगा वह परिषद् द्वारा निम्नलिखित दण्डात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होंगी।

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) की स्थिति

12.5 कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रयोगशाला उपस्करों, पुस्तकों, जर्नलों, पुस्तकालय सुविधाओं इत्यादि की अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना

जो संस्थाएं/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) विशिष्ट कौशलों हेतु अपेक्षित यथानिर्दिष्ट कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रयोगशाला उपस्करों, पुस्तकों, जर्नलों एवं पुस्तकालय सुविधाओं इत्यादि की पूर्ति नहीं करेंगे, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक के लिए दायी होंगे :–

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों/कौशलों में प्रवेश नहीं (नो एडमीशन) स्थिति
2. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा कौशलों के लिए अनुमोदन वापस लेना
3. संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के अनुमोदन को वापस लेना।

2495 GI/12–4

12.6 संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) हेतु अतिरिक्त अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति न किया जाना

जो संस्थाएं/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, वे परिषद् द्वारा निम्नलिखित दण्डात्मक कार्रवाई के लिए दायी होंगे :–

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं (नो एडमीशन) स्थिति

12.7 निर्मित क्षेत्र की पूर्ति न करना

जो संस्थाएं/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) निर्दिष्ट निर्मित क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, वे परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक के लिए दायी होंगे :–

1. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों अथवा कौशलों में प्रवेश नहीं (नो एडमीशन) स्थिति
2. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा कौशलों के लिए अनुमोदन वापस लेना
3. संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाताओं (एस.के.पी.) के अनुमोदन को वापस लेना।

12.8 धन–वापसी के मामले

(क) प्रवेश के रद्द होने पर फीस की वापसी के बारे में अभातशिप के दिशा–निर्देशों का पालन न करने वाली अथवा धन- वापसी में देरी करने वाली संस्थाएं/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) परिषद् द्वारा निम्न दण्डात्मक कार्रवाईयों में से किसी एक अथवा अधिक के लिए दायी होंगे :–

1. शुल्क (फीस) की वापसी न किये जाने के प्रत्येक मामले के लिए प्रति छात्र से वसूले गए कुल शुल्क के दो गुणा के समकक्ष का जुर्माना वसूल किया जाएगा
2. एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक/अधिक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों अथवा कौशलों में प्रवेश नहीं (नो एडमिशन) स्थिति
3. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा कौशलों हेतु अनुमोदन की वापसी
4. संस्था/कौशल ज्ञान प्रदाता (एस.के.पी.) के अनुमोदन को वापस लेना।

(ख) शुल्क वापसी न किये जाने पर दण्ड की राशि को परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार "सदस्य–सचिव, अभातशिप" को जमा किया जाएगा।

डॉ. के. पी. आइजैक, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./162/12]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2012

All India Council for Technical Educatian [Grant of Approval for cnnducting Vacatianal Education Program, Community Callege caurse(s) and Skill Knowledge Pravider under National Vocatianal Educatian Qualificatinn Framework] Regulations, 2012

F. No. 37-3/Legal/AICTE/2012.--In exercise of it's powers cnnferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 of the All India Cnuncil fnr Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) the All India Council for Technical Education (AICTE) makes the following Regulations :—

1			**Short Title , Application and Commencement:**
	1.1		These Regulations may be called the All India Council for Technical Education **(Grant of Approval for canducting Vocational Education Program, Community Collegc coursc[s] and Skill Knowledge Provider under National Vocational Educatian Qualification Framework)** Regulations, 2012.
	1.2		They shall apply to Institutions already approved by the All India Council for Technical Education and/or seeking approval of the All India Council for Technical Education for conducting Vocational Education Program, Community College courses and to act as the Skill Knowledge Provider under National Vocational Education Qualificatinn Framework, as notified by the Council from time to time.
	1.3		They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2			**Definitions:**
	2.1		"Academic year" means Academic Year of the concerned affiliating University and /or Technical Board and /or Institution.
	2.2		"Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No.52 of 1987).
	2.3		"AICTE web-portal" means web site hosted by the Council at URL www.aicte-india.org.
	2.4		"Applicant" means an applicant that makes an application to the Council seeking approval under these Regulations.
	2.5		"Approved Institution" means the Institute approved by Council.
	2.6		"BOARD OF TECHNICAL EDUCATION" means the Technical Education Board established by the State Govt. and/or Union Territory concerned providing for affiliation of Polytechnic Institution.
	2.7		"Central Statutory Body" means the Statutory bodies created and established by the Act of Parliament to regulate the Higher Education in India.
	2.8		"Chairman" shall mean Chairman of the Council as described under sub-Sections (4)(a) of Section 3 of the Act.
	2.9		"Community Collegc" means Institution offering Diploma Education duly approved by the Council to conduct Technical Education Program and /or the

			college recognized by the Central Statutory Body and/or affiliated by the University or the State Board of Technical Education, as the case may be and conducting Vocational Education under NVEQF scheme.
	2.10		"Community College course" means specialization in a specific sector under NVEQF scheme.
	2.11		"Vocational Course" means specialization in a specific sector under NVEQF scheme.
	2.12		"Company" means the company established under Section 25 of the Companies Act, 1956.
	2.13		"Competent Authority for Admission" means a body responsible for admission to Institutions in the State/UT concerned.
	2.14		"Council" means All India Council for Technical Education established under Section 3 of the Act.
	2.15		"Course" means one of the stream based sector specific specialization of learning in Vocational Education Program.
	2.16		"Division" shall mean; a batch of fifty seats excluding supernumerary seats, if any;
	2.17		"e-Banking" means the internet banking.
	2.18		"e-Receipt" means the payment receipt received on payment using internet banking on web- portal of AICTE.
	2.19		"Executive Committee" means the Committee constituted by the Council under Section 12 of the AICTE Act.
	2.20		"Foreign National" means the citizen of the all countries other than India who are not of Indian origin as defined under PIO.
	2.21		"Government Aided Institution" means Institution that meets 50% or more of its recurring expenditure out of the grant received from Government or Government organizations.
	2.22		"Government Institution" means Institution established and maintained by the Central/State Government.
	2.23		"Head of the Institution" means the Vice-Chancellor/Director in case of a University or an Institution Deemed to be University, the Principal or the Director or any other designation as the executive head of the Institution, in case of other institution[s].
	2.24		"Institution" means the institution duly approved by the Council to conduct Technical Education Program and /or the college recognized by the Central Statutory Body and/or affiliated by the University or the State Board of Technical Education, as the case may be.
	2.25		"LEVEL" means Vocational Education of approximately 1000 hours spread over a year, as referred in the architecture of NVEQF notified Ministry of Human Resource Development vide executive order No:1-4/2011-VE, DATED: 03.09.2012
	2.26		"NATIONAL VOCATIONAL EDUCATION QUALIFICATION FRAMEWORK" means framework of vocational education program as notified by Ministry of Human Resource Development vide executive order No:1-4/2011-VE, dated 03.09.2012
	2.27		"Vocational Education" means imparting Vocational courses in a certain specialization at a certain level along with General Education under NVEQF scheme.

	2.28		"Nnn-Resident Indian (NRI)" means an Indian eitizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian Passport.
	2.29		"Persnns of Indian origin (PIO)" shall mean the Persons who are citizens of nther countries (except Pakistan & Bangladesh) who at any time held an Indian Passport, or who or either of his/her parents or any of his/her grandparents was a citizen of India by virtue of the provisions of the Constitutinn of India of Sec.2 (b) of the Citizenship Act, (57 of 1955).
	2.30		"Private-Self Financing Institution" means an Institution established by a Society/Trust/Company and either does not receive any grant/fund or receives less than 50% grant /fund from Central and/nr State Government and/or Union Territnry Administration or any other Govt. Authority for meeting its recurring expenditure.
	2.31		"Regiunal Committee" means a Regional Committee established under Section 14 of the Act.
	2.32		"SKILL KNOWLEDGE PROVIDER" means the competency based knowledge provider which will impart skill based training of Vocational Content under NVEQF Scheme.
	2.33		"Society" means a Society registered under Societies Registration Act, 1860.
	2.34		"Trust" means a Trust registered under Charitable Trusts Act, 1950 or any other relevant Act.

3			**Prnmoters of the Skill Knowledge Provider**
	3.1		An Skill Knowledge Provider may be established and administered by the following:
		a	A Society registered under the Sucieties Registration Act, 1860
		b	A Trust registered under the Charitable Trusts Act, 1950 or any other relevant Act.
		c	A company incorporated under Section 25 of the Companies Act, 1956.
		d	A Partnership Firm duly registered with Registrar of Firms under relevant law of the State or UT Administration concemed.
		e	**The Institution as defined under clause 2.24 of these Regulations.**
4			**Grant of Approval for Institutions/SKP's**
	4.1		All Institutions and SKP's shall require prior approval of the Council for
		a	Conduct of a Vocational Education Programs
		b	Conduct of a Community college Courses in Existing AICTE approved Polytechnics
		c	Conduct of a Community college Courses in cnllege recognized by the Central Ststutory Body and/or affiliated by the University or the State Board of Technical Education
		d	Conduct of training for required skills by an existing organization nr its service / training centres as Skill Knowledge Provider (SKP)
	4.2		The Council shall publish, from time to time, Approval Process Handbook, detailing the procedure & conditions of approval and procedure to process the applications of Institutions and SKP.
	4.3		The applications for approval for the purpuses listed under clause 4.1 (a), (b) and (c) of these Regulations shall be made by:
		a	The principal/director/head of the applicant Institution.
	4.4		The application for approval for the purposes listed under clause 4.1 (d) of these Regulations shall be made by :-

2495 GI/12-5

		a	The Chairman or Secretary in case of the Society / Trust
		b	Managing Director or any authorized officer in case of company established under Section 25 of the Companies Act, 1956
		c	The authorized partner in case of the Partnership Firm.
	4.5		The format of the applications and the documents to be attached to the application and the fee to be remitted, the manner by which the applications are processed, the norms and standards, requirements and the procedures for grant of approval shall be prescribed in the Approval Process Handbook by the Council from time to time.
	4.6		The applicant may be required to submit the application for purposes listed in 4.1 and pay prescribed fee online through AICTE's web-portal or any other mechanism notified by the Council from time to time.
	4.7		On submission of online application AICTE's web-portal, the system may generate a tracking number, specific to the application, which may be used by the applicant for making further references and to track / check the status of the application, concerned, online
	4.8		An affidavit, in the format as given on the web portal, on a Non Judicial Stamp paper of Rs.100/- duly sworn before a First Class Magistrate or Notary or an Oath Commissioner, inter alia, stating that the information given in the application is true and that if it is found at any stage that any or part of the information has been suppressed and / or misrepresented and / or the information given in the application is false, the Council will be free to take action including withdrawal of approval and / or any other legal action as it may deem fit.
	4.9	a	**All Institutions already approved by council and applying for approval of the Council under these Regulations:-** Shall make necessary corrections, online, based on the deficiency / Status report available through Institute login until such time that the applicant finally submits the application on the portal. If there are no deficiencies then the system shall allot the intake applied for, as per clause 6 of Chapter I and Chapter II of the Approval Process Hand Book The consolidated list of all Institutes / Polytechnics with the approved intake shall be placed before the Executive Committee for approval or otherwise. The same shall be notified on the web portal. Further the Institute / Polytechnic may print the Letter of approval along with approved intake through the Institute / Polytechnic login. No appeal shall be allowed on this procedure since an applicant is allowed corrections multiple times, in the application form along with generation of online deficiency / status report before submission of the application.
		b	All applicants other than 4.9 (a), may also make necessary corrections, online, based on the deficiency / Status report available through Institute login until such time that the applicant finally submits the application on the portal. The application submitted online on the web portal of the Council shall be evaluated by a Scrutiny Committee constituted by the Regional Officer by selecting members using automated selection process provided by the AICTE web-portal
	4.10		Regional Officer or an Officer of the Council concerned shall assist the respective

			Committees and place relevant records and documents before the respective Committees and make necessary arrangements for conduct of the meetings; however, he shall not be part of the Committees.
	4.11		The Scrutiny Committee shall invite applicants of 4.9 (h) for presentation of their proposals along with originals of all scanned documents and a video CD of all facilities created by Institutions and/ or SKP, as the case may be.
	4.12		Based on the recommendations of the Scrutiny Committee, the Regional Officer concerned shall communicate deficiencies, if any, to the applicants as stated in time schedule. The list of deficiencies shall be posted on the AICTE web-portal for information.
	4.13		Expert Committee shall visit the Institutions / SKP's in respect of applications as in clause 4.9 (h) of these Regulations which are recommended by the Scrutiny Committee for further processing for grant of approval.
	4.14		The Regional Officer concerned shall request the applicants, whose proposals seeking approval for cases as indicated in clause 4.9(b) are recommended by the Regional Committee for grant of approval, to deposit the prescribed amount in the name of Member Secretary, AICTE along with an affidavit, in the prescribed format given on the web portal, as per the procedure mentioned in the Approval Process Handbook.
	4.15		Regional Officer concerned, while forwarding the recommendations of the Regional Committee to AICTE headquarters, for placing before the Executive Committee shall verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny Committee, Expert Visit Committee and the Regional Committee. The Bureau concerned at AICTE headquarters shall also verify that the processes and parameters prescribed under these Regulations and Approval Process Handbook are followed by the Scrutiny Committee, Expert Visit Committee and the Regional Committee.
	4.16		The recommendations of the Regional Committee shall be placed before the Executive Committee of AICTE. Executive Committee after considering the recommendations of the Regional Committee and on confirmation of deposit of money, along with the affidavit, shall take a final decision in its meeting on grant of approval or otherwise.
	4.17		The Council shall grant the desired approvals only after satisfying itself that the applicant meets all the norms and standards prescribed by it.
	4.18		Further based on the decision of the Executive Committee, Letter of Approval to start the program within two years, or Letter of Rejection shall be issued by the designated authority of the AICTE. However, the Extension of approval shall be required to be obtained by Institutions and SKP each year.
	4.19		The Council shall not grant any conditional approval to any Institution / SKP
	4.20		Institutions and SKP granted Letter of Approval for conduct of VE, Community College Courses and SKP under NVEQF shall comply with appointment of teaching staff, coordinator, and Principal/Director as the case may be, as per policy regarding minimum qualifications, pay scales etc., norms prescribed by the Council and other supporting staff & administrative staff as per the schedule prescribed in

			the Approval Process Handbook. Institutions other than minority Institutions shall appoint teaching staff / coordinator / Principal / Director and other supporting staff and administrative staff strictly in accordance with the methods and procedures of the concerned affiliating University / Technical Board particularly in case of selection procedures and selection Committees. The infomation about these appointments of staff in the prescribed format shall also be uploaded on the web-portal of AICTE as per the schedule prescribed in the Approval Process Handbook. In no circumstances, unless the appointment of all teaching and other staff is in place, the Institution and/or SKP shall start the approved Courses.
	4.21		The applications received under clause 4.1 of these Regulations will be processed as per the procedures, norms, standards and schedule prescribed in the Approval Process Handbook as notified by the Council from time to time.
	4.22		The applicants shall not name the Institution / SKP in such a way that the abbreviated form of the name of the Institution / SKP becomes IIM or IIT or II Sc or NIT or AICTE or UGC or MHRD or GOI. The applicant shall also not use the word(s) Government, India, Indian, National, All India, All India Council, Commission anywhere in the name of the Institution / SKP and other names as prohibited under the Emblems And Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950. Provided that the restrictions mentioned above shall not be applicable, if the Institution / SKP is established by Government of India or its name is approved by the Government of India.
	4.23		Under no circumstances, an Institution and SKP without prior approval of AICTE and affiliation from University / Board concemed, shall be allowed participation in the counseling and admission process and to admit students.
	4.24		Affiliating Universities shall not enroll students admitted in such Institutions / SKP, which do not have requisite prior approval of the Council.
	4.25		Central / State Government / UT Administration concerned shall not permit any Institution / SKP without requisite prior approval of the Council to admit students.
	4.26		The applicant promoters/ Institutions / SKP are expected to provide to the Council true and complete information and documents required for various purposes. If the information given and or the documents provided to the Council are found to be false, and/or incomplete, the applicant Institutions / SKP have failed to disclose factual information and / or suppressed/misrepresented the information, the Council shall take action including withdrawal of approval and/or any other action as deemed necessary against the applicant Institutions / SKP.
	4.27		AICTE may also conduct from time to time inspections with or without notifying dates in such cases where specific complaints of falsification of documents, misrepresentation, violation of norms and standards, mal-practices and take appropriate actions, including withdrawal of approval and any other action deemed necessary against the applicant Institutions / SKP, as the case may be.
	4.28		The Money Deposited by the Institution / SKP with AICTE may be permitted to be withdrawn after a term of ten years. However, the term of the money deposited could be extended for a further period as may be decided on case to case basis

			and/or forfeited in case of any violation of norms, conditions, and requirements and/or non-performance by the Institution / SKP and/or complaints against the Institutions / SKP's.
	4.29		In the event of denial of approval for under clause 4.1 of these Regulations, any application received for approval for any of the purposes mentioned above at clause 4.1 of these Regulations from such Institutions /SKP shall not be considered till such proceedings are settled and the Institutions / SKP are cleared of the charges of violations.
	4.30		The affiliating Universities / Technical Board shall transfer the students of the Institutions / SKP, whose programs/courses have been discontinued by the Council or approval is withdrawn or suspended, to other nearby AICTE approved Institutions /SKP affiliated to it and the Council shall allow supernumerary seats in such Institutions / SKP to accommodate the transferred students appropriately till they complete the programs/courses.
	4.31		Any Institution / SKP offering Courses without approval of the Council, shall be termed as unapproved if
		a	Started without approval by the Council.
		b	Working at location not approved by the Council.
		c	Declared as "Unapproved" by the Council Provided further, the Institutions / SKP conducting courses/programs in education, in temporary location /at location not approved by the Council, shall be liable for action for closure including appropriate action against defaulting Societies/ Trusts/ Companies/ associated Individuals as the case may be.
5			**Appeal before Appellate Committee:**
	5.1		An Institution / SKP aggrieved by the decision of the Executive Committee of the Council may be permitted only one opportunity to file appeal before an appellate Committee. The appellate Committee shall be constituted by the Chairman, AICTE.
	5.2		An officer of the Council shall place the records before the Appellate Committee. A representative of the Institute / SKP shall be invited to place the point of view of the Institute / SKP before the Appellate Committee.
	5.3		The recommendations of Appellate Committee shall be placed before the Council of the AICTE whose decision shall be final.
	5.4		The decision of the Council shall be communicated to the applicant in the form of a letter of approval or rejection or in the form of an appropriate communication. In case of rejection of the proposal, it shall be open for the applicant to make a fresh application.
6			**Requirement** of land:
			The promoter society / trust / company established under Section 25 of the Companies Act, 1956 of a Education Institution / SKP shall have the land as required and prescribed in its lawful possession with clear ownership title in the name of promoter society / trust / company established under Section 25 of the Company Act, 1956 on or before the date of submission of application. Provided that it shall be open for the promoter society / trust / company established under Section 25 of the Companies Act, 1956 proposed Institution / SKP to mortgage the land only after the receipt of letter of approval, only for raising the resources for the purpose of development of the Education Institute / SKP situated

			on that land.
7			**Infarmation in respect af Direetar / Prineipal, and Canrdinatar and Faculty members.** All Education Institutions / SKP shall upload the information in respect of their Director / Principal, Coordinator and faculty mernbers in the format available on the web portal of the Council and update the information from time to time.
8			**Interpretatian** Any question arising out of the interpretation of these Regulations, shall be decided by the Council and the deeision of the Council shall be binding and final.
9			**Pnwer ta relax**
			The Council may in exceptional cases, for removal of any hardship or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of Institutions and / or SKP.
10			**Withdrawal of approval** If any Institutian / SKP contravenes any of the provisions af these Regulations, the Council rnay, after making such inquiry, as it may eansider appropriate and after giving the Institution / SKP cancerned an apportunity of being heard, withdraw the appraval granted under these Regulations.
11			**Penalty** An Institutian / SKP running any educatian/skill training under NVEQF in vialation of these Regulations, shall be liable for initiation of legal civil action iocluding withdrawal of approval, if any, and / or legal criminal action by the Council against the Institution and/or its Saciety/Trust/Section 25 Company and Individuals / any ather associated as the case may be. Pravided further that if any Institution / SKP cantravenes any af the provisions of these Regulations, the Council after making such inquiry as it may consider appropriate and after giving Institution / SKP concerned an opportunity to clarify the matter, may take any or all actions as specified below and as the case may be.
12			**Action in ease af vialatian af Regulatians**
	12.1		An Institutian / SKP running any Vocational Educatianal Program io violation of Regulations or/and Appraval Process Handbook, shall be liable for initiation of appropriate Penal Civil action including withdrawal of approval, if any, and / nr criminal action hy the Cuuncil against defaulting Societies / Trusts / Companies / Assaciated Individuals and / or the Institution / SKP, as the case may be. Provided that, if any Institution / SKP contravenes any of the provisions of cancerned regulations, the cauncil after making such inquiry as it may eansider appropriate and after giving these Institutian / SKP concerned, an opportunity of being heard, under appropriate regulatians, withdraw approval to the concerned Institution / SKP. Provide further that in case of such a withdrawal, the operations of the said Institution / SKP shall not be started again hefore cornpletioo of two academic years from the date of such a withdrawal. Provided further that, the students admitted to the Institute / SKP whose approval has been withdrawal, shall be redistributed to other Institutions / SKP in the

			jurisdiction of the affiliating University or Board by the competent authority of the respective State Governments. Such Institution / SKP where the approval has been withdrawn, the restoration shall be as per the procedure for seeking fresh approval of the council for conduct of courses under NVEQF by Institute / SKP
			Excess admissions
	12.2		Excess admissions over the sanctioned intake shall not be allowed under any circumstances. In case any excess admission is reported to / noted by the Council, appropriate penal action will be initiated against the Institution / SKP. The Institution / SKP shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council. 1. Excess admission fee amounting five times the total fees collected per student shall be levied against each excess admission. 2. No admission status in one / more VE programs or skills for one academic year 3. Withdrawal of approval for VE Program or skills. 4. Withdrawal of approval of the Institution / SKP.
	12.3		Amount in respect of Excess admission fee shall be remitted to "Member Secretary, AICTE" as per instructions issued by the council.
	12.4		**Non fulfillment of requirement of qualified Faculty**
		a	Institutions not having qualified faculty shall be liable to following punitive action by the council. 1. No admission status for one academic year
	12.5		**Non fulfillment in Computer, Software, Laboratory Equipments, Books, Journals, Library facilities etc as required for specific Skills**
		a	Institutions / SKP not maintaining prescribed Computer, Software, Laboratory Equipments and Books, Journals, Library facilities etc as required for specific skills shall be liable to following punitive action from any one or more of the folluwing by the council. 1. No admission status in one / more VE programs or skills for one academic year 2. Withdrawal of approval for VE Program or skills. 3. Withdrawal of approval of the Institution / Polytechnics / SKP.
	12.6		**Non fulfillment in additional Essential requirements for Institution / SKP**
		a	Institutions / SKP not maintaining prescribed requirements shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council. 1. No admission status in one / more courses for one academic year

	12.7		**Non fulfillment in Built up Area**
		a	Institutions / SKP not fulfilling prescribed built up area requirements shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council. 1. No admission status in one / more VE programs or skills for one academic year

			2. Withdrawal of approval for VE Program or skills. 3. Withdrawal of approval of the Institution / SKP.
	12.8		**Refund Cases**
		a	Institutions / SKP not following guidelines issued by the Council regarding refund of fees on cancellations of admissions or delaying refunds shall be liable to following punitive action from any one or more of the following by the council. 1 Fine for nun compliance of refund of fees levied against each case shall be twice the total fees collected per student. 2 No admission status in one / more VE programs or skills for one academic year 3 Withdrawal of approval for VE Program or skills. 4 Withdrawal of approval of the Institution / SKP.
		b	Amount in respect of Fine for non compliance of refund of fees shall be remitted to "Member Secretary, AICTE" as per instructions of the council.

Dr. K. P. ISAAC, Member-Secy

[ADVT. III/4/Exty/162/12]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.